सहीराम बनाम राजस्थान सरकार आदि
2026 / 22
निर्णय दिनांकः–04.05.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार–। आर.ए.एस.)

दर्ज तिथिः– 19.03.2026

प्रार्थना पत्र सं.:– 2026 / 77

1. सहीराम पुत्र उमाराम जाति जाट निवासी रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

................प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)
2. रूघाराम पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी गांव रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. हरीराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी गांव रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. शीशराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी गांव रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. मूली पुत्री लिछमणराम जाति जाट निवासी गांव रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)
6. धापी पत्नि लिछमणराम जाति जाट निवासी गांव रिबिया तहसील व जिला चूरू (राज.)

................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः– श्री धन्नाराम सैनी
अप्रार्थीगणः– एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–111, 128
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956

–ः निर्णय ः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय तिथिः– 04.05.2026

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना–[illegible] राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का [illegible] इस प्रकार से है कि [illegible] सहीराम ने यह प्रार्थना–पत्र अपनी कृषि भूमि खसरा नम्बर [illegible]7, 249, 517 एवं 641/[illegible] स्थित रोही रिबिया के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि पर उसका कब्जा काश्त चला आ रहा है और वह जमाबंदी संवत् 2071–74 के अनुसार रिकॉर्डेड खातेदार है।

प्रार्थी का आरोप है कि उसके पड़ोसी खातेदारों (अप्रार्थी संख्या 02 से 06) ने प्रार्थी की भूमि के चारों ओर से कुछ हिस्सों को दबा रखा है और सीमा चिह्नों को नष्ट कर दिया है। प्रार्थी के अनुसार, तहसीलदार चूरू के आदेश दिनांक 14.05.2025 की पालना में पटवारी द्वारा की गई पैमाइश में उसकी भूमि राजस्व रिकॉर्ड से कम पाई गई है, अतः वह पुख्ता पत्थरगढ़ी करवाने हेतु विधिक आदेश चाहता है।

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 ता 6 को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा उपस्थित होकर जवाब/हाजिरी प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 1 भूमिधारी है।

3. प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण को जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए। इसके बावजूद अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही जवाब हेतु कोई तर्कसंगत आधार पेश किया गया। अतः न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक विलम्ब को रोकने हेतु अप्रार्थीगण का जवाब देने का अवसर बन्द किया गया तथा पत्रावली बहस प्रार्थीगण हेतु नियत की गई।

- प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 237, 249, 517 एवं 641/561 रोही मौजा रिबिया का खातेदार काबिज काश्तकार हैं। अप्रार्थीगण आए दिन प्रार्थीगण की सीमाओं (सींवों) के साथ छेड़छाड़ करते हैं और सीमाचिन्ह नष्ट कर प्रार्थीगण की कृषि भूमि में घुसने की चेष्टा करते हैं ।प्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है और पड़ोसी खातेदारों ने सीमा चिन्हों को खुर्द–बुर्द कर दिया है। चूंकि प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर कोई विरोध नहीं किया है, अतः प्रार्थी के पक्ष में पत्थरगढ़ी का एकपक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है।

4. मैंने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया। प्रकरण में सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–111 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***111. Decision of disputes as to boundaries.***—*(1) In case of any dispute concerning any boundaries the Land Records Officer shall decide such dispute, so far as possible, on the basis of the existing survey maps and, where this is not possible or such maps are not available, on the basis of actual possession.*
>
> *(2) If, in the course of an inquiry into a dispute under this section the Land Records Officer is unable to satisfy himself as to which party is in the possession or it if is shown that possession has been obtained by wrongful dispossession of the lawful occupants within a period of three months previous to the commencement of the inquiry, the Land Records Officer shall ascertain by summary inquiry who is the party best entitled to possession and shall then fix the boundary accordingly.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

5. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 111 के अनुसार खसरों की सीमाओं के विवाद को हाल राजस्व नक्शे के अनुसार तथा हाल राजस्व नक्शे के उपलब्ध न होने पर वास्तविक कब्जे के आधार पर निस्तारित किये जाने के प्रावधान बनाये गये है। खसरों की

सीमाओं के विवाद को निस्तारित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 के तहत प्रावधान बनाये गये है। अतः प्रकरण में साथ ही राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–128 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***128. Boundary disputes.*** *- All disputes concerning boundaries shall be decided by the Land Record Officer in the manner laid down in section 111:*
>
> ***Provided that*** *applications in relation to boundaries of fields may be made to and disposed of by the Tehsildar in cases where there exists no dispute as to such boundaries but on account of the absence of proper boundary marks there is the likelihood of such a dispute arising.*

6. आज यह प्रार्थना–पत्र धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सीमा–ज्ञान (सीमांकन) एवं पत्थरगढ़ी के संबंध में निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी खसरा नम्बर 237, 249, 517 एवं 641 / 561 रोही मौजा रिबिया, पटवार हल्का खण्डवा पट्टा पीथीसर, भू. अ. निरीक्षक पीथीसर का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी की भूमि के उत्तर दिशा में अप्रार्थी सं. 2 तथा पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 3 ता 6 का खेत स्थित है, अप्रार्थीगण आए दिन प्रार्थी की सीमाओं (सींवों) के साथ छेड़छाड़ करते हैं और सीमाचिन्ह नष्ट कर प्रार्थी की कृषि भूमि में घुसने की चेष्टा करते हैं । पक्षकारों के मध्य आए दिन होने वाले इस झगड़े और सीमा विवाद के स्थाई निराकरण हेतु राजस्व रिकॉर्ड व पुरानी निशानदेही के अनुसार चारों ओर पुख्ता पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।
7. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि की सीमा निश्चित करवाने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2070–73 से उसका उक्त खसरा हक व हिस्सा प्रमाणित है।
8. प्रार्थी का कथन है कि सीमा चिन्ह नष्ट हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर पैमाइश करवाना ही विवाद के स्थाई समाधान का एकमात्र विकल्प है। चूंकि सीमाज्ञान राजस्व प्रक्रिया है न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।
9. यद्यपि प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, तथापि न्यायालय का यह विधिक दायित्व है कि वह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की विधिक पोषणीयता का स्वयं परीक्षण करे। सीमाज्ञान एक ऐसी कार्यवाही है जिसमें प्रभावित खसरा नम्बर से जुड़ी तमाम सीमाओं के सभी पड़ोसी खातेदारों को पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य है। प्रार्थी ने केवल कुछ ही पड़ोसियों को पक्षकार [illegible] के अनुसार, यदि एक भी प्रभावित पड़ोसी खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया [illegible] तो सीमाज्ञान की कार्यवाही सही नहीं मानी जाती है। मात्र अप्रार्थीगण [illegible] एक त्रुटिपूर्ण प्रार्थना–पत्र पर आदेश प्राप्त करने का [illegible] आवश्यक पड़ोसियों को सुने बिना पत्थरगढ़ी का आदेश पारित करना भविष्य में [illegible]वश्यक मुकदमेबाजी और कानून–व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। अतः उपरोक्त विधिक विवेचना एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested

आदेश है कि

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम आवश्यक पक्षकारों को संयोजित न करने की गंभीर विधिक त्रुटि के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थी को यह राहत दी प्रदान की जाती है कि वह समस्त प्रभावित पड़ोसी खातेदारों को पक्षकार बनाते हुए नियमानुसार नवीन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 04.05.2026 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मुद्रा न्यायालय से खुल न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार–I) RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू (चूरू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:33:24 IST
Reason: SelfAttested